न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

कइजलास :– श्री दिनेश मण्डोवरा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकरी, छोटी सादड़ी, जिला – प्रतापगढ़ (राज.)।

प्र. स.:– 44 / 17

राया उर्फ नारायण जाति मीणा निवासी पीलीखेड़ा

–वादी

बनाम

भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़

–प्रतिवादी

वाद 88, RTA

उपस्थिति:– श्री P.C. Sahu अधिवक्ता छोटी सादड़ी (वादी)

निर्णय

वाद में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद इस उनवान में पेश किया गया जो धारा 88, R.T.A. न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि वादी के नाम पर मौजा थानपुर प.ह. गणेशपुरा की आराजी न0 186 रक्बा 0.50 हैक्टर दर्ज रिकार्ड है।

उक्त आराजीयत में वादी ने जमाबन्दी पेश कर इम्दाद चाही कि वादी की जमीन आवंटन में नाम गलत रूप से अंकित कर दिया है तथा पिता कि जगह स्वयं का नाम उलट पुलट हो गया है इस हेतु वादी का कथन था कि आवंटन से पूर्व ही उक्त आराजीयत पर वादी का कब्जा रहा है तथा जमीन पर किसी बाधा से काबीज होकर के कास्त करता चला आ रहा है। नाम संशोधित कर उक्त आराजी को वादी के नाम पर तेदारी घोषित किया जावे। इस हेतु वादी द्वारा शपथपत्र पेश किया गया वादी ने अपने नाम दो नाम बताये दोनो घरेलु नाम सरकारी प्रचलन दस्तावेज में राया नाम अंकित हे जिससे उसे परेशानी हो रही है वादी ने पीलीखेड़ा सरपचं का प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें राया उर्फ नारायण पिता देवा एक ही व्यक्ति है तथा उक्त प्रमाण पत्र पर फोटो की चस्पा कि गयी है जो वादी कि है इसके अलावा वादी द्वारा पीलीखेड़ा की बन्दी पेश कि जिसमे वादी का नाम राया पिता देवा अंकित है।

वाद दर्ज कर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी ने जबाव पेश कर वाद की चरण एक से लगातार 5 तक नकारा है।

चूंकि राजस्व रेकार्ड में मात्र पिता एवं पूत्र के नाम ही उलट–पुलट है। तो आगे तनकियात कायमी की कोई आवश्यकता नही होनी चाहिये वाद को लम्बा खिचना मात्र ही मकसद नही है न्याय की मूल धारणा में पिडित पक्षकार को इमदाद आवयश्क है चूकि ताईदी बयान में शपथ पत्र बालु पिता देना मीणा निवासी पीलीखेड़ा ने जाहीर किया कि में राया उर्फ नारायण को जानता हु दोनो नाम एक ही है इसी को प्रेमा पिता राया मीणा ने शपत्र पत्र पेश कर ताईदी कि जमीन और वादी दोनो को जानता हु तथा जमाबन्दी में गलती से नाम गलत हो गया है जो सुधारा जाना आवश्यक है। तथा गणेशपुरा पंचायत के झालाखेड़ा के बाबरू पिता मेराजी मीणा ने शपथपत्र पेश कर बयान दिया कि नारायण उर्फ राया मेरा सगा भाणेज लगता है पहले झालाखेड़ा में ही रहता था उक्त जमीन इसके कब्जे की होने से उक्त जमीन आवंटन कि गयी लेकिन नाम बाप कि जगह बेटा का नाम आगया हैं। इसे लोन लेने में व सरकारी कामो में परेशानी हो रही है उक्त जमीन पर राया उर्फ राया नारायण ही आज तक काबीज होकर कास्त कर रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर चिन्तन मनन कर लिया है सभी साक्ष्यो से जाहीर हो रहा है कि राया उर्फ नारायण एक ही व्यक्ति है तथा वादी के पिता का नाम देवा है हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य

बालु पिता देवा, प्रेमा पिता राया, बाबरू पिता भेरा एवं पीलीखेड़ा सरपंच का नाम बाबत प्रमाणपत्र एवं विवादित आराजी की जमाबन्दी एवं वादी के पीलीखेड़ा जमाबन्दी को अवलोकन करे तो तथा वादी द्वारा पेश आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र से साबित होता है कि नारायण ही राया व्यक्ति है वादी अपने दस्तावेजी साक्ष्यो से दावे में सफल रहा।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण टिनेन्सी एवं मेरीड साक्ष्य सबुत पर उचित एवं अनुचित प्रदर्श देखकर किया जाना होता ही परन्तु। न्याय आपके द्वार को भावना व राज्य सरकार की मन्शा को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को अनावश्यक आगे बढ़ाना उचित नही समझता हु अतः प्रार्थी को न्याय दिलाने की भावना को ध्यान में रखते हुए वाद डिक्री किया जाकर कि मौजा थानपुर पटवार हल्का गणेशपुरा की आराजी नं0 186 रकबा 0.50 हैक्टर दर्ज रिकार्ड कर रिकार्ड में अमलदरामद कर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम देवा पिता नारायण के स्थान राया उर्फ नारायण पिता देवा के नाम खातेदारी दर्ज कि जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री, मुर्तिब हो डिक्री पृथक से जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 26/5/17 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, छोटी सादड़ी
जिला प्रतापगढ़(राज.)